

प्रृष्ठ 2

[देखिए नियम 24]

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का कार्यालय _____

निर्वाचन का नोटिस

संख्या _____ हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, के नियम 24 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, _____ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) _____ इस से संलग्न अनुसूचि के खाना (1) में विनिर्दिष्ट पंचो/सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में इसके द्वारा नोटिस देता हूँ :-

कि (क)* _____ पंचायत के पंचों/सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए कि रिटर्निंग

अधिकारी पंचायत के रूप में खाना (2) में विनिर्दिष्ट वार्ड। जिसे इसमें इसके बाद वार्ड के लिए कहा गया है। अनुसूचि के खाना (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी;

(ख) नाम निर्देशन करने के लिए उसके वार्ड के लिए खाना (4) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय के रूप में अन्तिम तिथि तथा समय;

(ग) खाना (5) में विनिर्दिष्ट वार्ड के लिए तिथि तथा समय नाम निर्देशन की जांच के लिए तिथि तथा समय;

(घ) वार्ड के खाना (6) में विनिर्दिष्ट स्थान तैयार करने तथा नाम निर्देशन की जांच का स्थान होना;

(ङ) वार्ड के लिए खाना (7) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय का नाम निर्देशन की वापसी के लिए तिथि तथा समय का होना;

(च) वार्ड के लिए खाना (8) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय का वह तिथि तथा समय होना जिस के दौरान मतदान कराया जायेगा;

(छ) वार्ड के लिए खाना (9) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय मतों की गणना की तिथि तथा समय होना;

(ज) वार्ड के लिए खाना (10) में विनिर्दिष्ट स्थान का मतों की गणना के लिए स्थान का होना:-

अनुसूचि

पंचायत का नाम	वार्ड का नाम	रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)	नामांकन के लिए स्थान	नामांकन की जांच के लिए तिथि तथा समय	नामांकन की जांच के लिए स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नामांकन की वापसी के लिए तिथि तथा समय	तिथि तथा समय जिसके दौरान मतदान कराया जाएगा	मतों की गणना के लिए तिथि तथा समय	मतों की गणना के लिए स्थान
--	---	--	------------------------------

(7)

(8)

(9)

(10)

स्थान _____

समय _____

का

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)।

*यहां पंचायत का नाम विनिर्दिष्ट करें।